

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग


क्रमांक एफ 1(1) आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2015/518-50 जयपुर,दिनांक 17.1.2017

समस्त जिला कलक्टर,  
राजस्थान।

विषय:- रबी फसल 2016 (सम्बत् 2072) में 2 हैक्टर व दो हैक्टर से कम खराबा वाले पात्र (SMF) काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9.01.17 के निर्णय की पालना में रबी फसल 2016 (सम्बत् 2072) में दो हैक्टर तक भूमि धारिता वाले (SMF) काश्तकारों की बोयी गयी फसलों में 33 से 50 प्रतिशत खराबा हुआ है। उक्त श्रेणी के प्रभावित काश्तकारों की आप द्वारा विभाग को गिरदावरी रिपोर्ट के साथ प्रेषित संख्या के अनुसार पात्र काश्तकारों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता का वितरण कराने हेतु ऑन लाईन बजट मांग दिनांक 23.01.2017 तक कर दिनांक 5.02.2017 तक पात्र काश्तकारों के खातों में कृषि आदान अनुदान राशि का हस्तान्तरण कर वैबसाईड पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।

भवदीय  
  
शासन उन सचिव